JALAUN POLICE

दिनांक- 30.03.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर, जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के बाद छेडखानी व हत्या करने वाले 03 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 1,04,000-1,04,000/- रुपये(एक लाख चार हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण- अभियुक्तगण 1. दीपांशु पुत्र बालाजी गुर्जर 2. अंशु उर्फ अनुरुद्ध पुत्र शिवशंकर 3. अभिनेन्द्र सिंह उर्फ बोली पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह नि0गण ग्राम सिकरी बुजुर्ग थाना नदीगांव जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्रवधु के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज कर छेडछाड करना व जान से मारने की धमकी देना व वादी के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर देने के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 05.07.2020 को थाना नदीगांव पर मु0अ0सं0 68/20(वाद संख्या 36/20) धारा 302/34/354/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना नदीगांव पुलिस द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 28.08.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 30.03.2026 को मा0 न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण दीपांशु, अंशु व अभिनेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1,04,000-1,04,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।